न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 73/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. प्रकाशचन्द्र पिता सोहनलाल महाजन
2. लक्ष्मीलाल पिता सोहनलाल महाजन
3. कंचनदेवी पुत्री सोहनलाल महाजन
4. प्रेमदेवी पुत्री सोहनलाल महाजन
5. अलोल देवी पुत्री सोहनलाल महाजन
6. शोभालाल पिता मगनलाल महाजन
7. मीठालाल पिता मगनलाल महाजन
8. बंशीलाल पिता मगनलाल महाजन
9. शांतिलाल पिता मगनलाल महाजन

निवासी डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता डालु जाट
2. ईश्वरलाल पिता रंगलाल जाट
3. सुखी पुत्री रंगलाल जाट
4. पुष्पा पुत्री रंगलाल जाट
5. माया नाबालिग पिता रंगलाल जाट जरिये ब.विलायत माता बदामी बेवा रंगलाल जाट
6. बदामी बेवा रंगलाल जाट
7. रोशन लाल पिता गुलाबचन्द जाट
8. मुकेश पिता गुलाबचन्द जाट
9. कैलाशी पुत्री गुलाबचन्द जाट
10. पारसी बेवा गुलाबचन्द जाट
11. नारायण नाबालिग पिता पन्नालाल जाट जरिये ब.विलायत माता कोयली बेवा पन्ना जाट
12. लक्ष्मी नाबालिग पिता पन्नालाल जाट जरिये ब.विलायत माता कोयली बेवा पन्ना जाट
13. कोयली बेवा पन्नालाल जाट
14. अम्बालाल पिता मोजीराम जाट
15. माधवलाल पिता मोजीराम जाट
16. गोपीलाल पिता मोजीराम जाट
17. सायरी पुत्री मोजीराम जाट
18. सोसी पुत्री मोजीराम जाट
19. रामी पुत्री मोजीराम जाट
20. केसर पत्नी मोजीराम जाट
21. गोकल पिता अमरचन्द जाट
22. भूरा पिता अमरचन्द जाट
23. जवाहरमल पिता अमरचन्द जाट

सर्व निवासी डेलाणा सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः– 28/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की

क्रमश....

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 73/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

आराजी संख्या 328 रकबा 0.50 हे0, 334 रकबा 0.15 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 191 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 2 लगायत 9 व 11,12,13,14,15 एवं 17,18,19 तथा 22, 23 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीगण संख्या 1,10,16,20 तथा 21,22,23 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नही चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाणा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 328 रकबा 0.50 हे0, 334 रकबा 0.15 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 350– (तीन सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 350– (तीन सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28 /06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा
(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)